भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *95
दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एम्स, दिल्ली में गरीब व्यक्तियों हेतु नि:शुल्क इंसुलिन की शीशियां

***95. श्री सुधीर गुप्ता:**
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में गरीब/निम्न आय वाले रोगियों को इंसुलिन की शीशियां नि:शुल्क उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इंसुलिन की शीशियां नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए है;

(ख) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गरीब और निम्न आय वर्ग के रोगियों को कई अन्य दवाइयां भी नि:शुल्क प्रदान करता है और यदि हां, तो ऐसी दवाओं की सूची सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गरीब और निम्न आय वर्ग के रोगियों को कई अन्य दवाइयां भी नि:शुल्क प्रदान करता है;

(घ) यदि हां, तो गरीब और निम्न आय वाले रोगियों को दी जाने वाली नि:शुल्क दवाओं की सूची में विभिन्न दवाओं को शामिल करने के लिए एम्स द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ड.) क्या सरकार का देश में केन्द्र सरकार के अन्य अस्पतालों में भी इंसुलिन की शीशियां और अन्य आवश्यक दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ड): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *95 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क) एम्स, नई दिल्ली ऐसे पंजीकृत रोगियों (ओपीडी और आईपीडी दोनों) को दिनांक 14.11.2023 से इंसुलिन की शीशियों निःशुल्क वितरण कर रहा है, जिनके पास उपचार करने वाली फैकल्टी द्वारा हस्तांक्षरित और जारी की गई एक वैध नुस्खा-पर्ची है।

(ख) से (घ) एम्स, नई दिल्ली सामान्य वार्ड में भर्ती सभी रोगियों को अस्पताल में उनकी भर्ती अवधि के दौरान उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा यथा निर्धारित 553 अति आवश्यक दवाएं और 354 सर्जिकल उपभोज्य उपकरण निःशुल्क प्रदान कर रहा है। यह सूची (https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/list%20of%20essential%20drugs.pdf). **लिंक पर उपलब्ध है।** अति आवश्यक औषधियों की सूची का निर्धारण नुस्खा-पर्ची पैर्टन के अलोक में विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त अनुरोधों के आधार पर संस्थान की समिति द्वारा किया जाता है।

(ङ) यथा चिन्हित अति आवश्यक दवांए केंद्रीय सरकारी अस्पतालों, जिनमें डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग, क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान- रायबरेली, नागपुर, पटना, गोरखपुर, बीबीनगर, ऋषिकेश, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, रायपुर, जोधपुर, मंगलागिरी, कल्याणी, बिलासपुर और बठिंडा शामिल, में रोगियों को निशुल्क प्रदान की जाती हैं।

******